"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262 ] रायपुर, रविवार, दिनांक 11 अप्रैल 2021—चैत्र 21, शक 1943

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अप्रैल 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-26/2020/17-एक.—छत्तीसगढ़ शासन का समाधान हो गया है कि राज्य में कोविड-19 महामारी, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी (ऐपिडेमिक) घोषित किया जा चुका है, से संक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ;

यत:, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के ईलाज में आक्सीजन गैस अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा राज्य में संक्रमण की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए, आक्सीजन गैस की आवश्यकता में उत्तरोत्तर वृद्धि होना सुनिश्चित है ;

यत:, मेडिकल आक्सीजन गैस की अनुपलब्धता (कमी) से कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के उपचार में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा कोविड-19 से संक्रमण के अंतिम परिणाम पर विपरीत असर पड़ेगा ;

अत: उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में स्थित आक्सीजन गैस निर्माण करने वाले यूनिट/इंडस्ट्री/संस्थाओं में उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को विनियमित एवं निर्धारित किया जाए ;

अतएव, महामारी अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा 2, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य अधिनियम, 1949 (क्र. 36 सन् 1949) की धारा 84 सहपठित धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं छत्तीसगढ़ ऐपिडेमिक डिसिज कोविड-19 विनियम, 2020 के समुचित क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए और कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार में आक्सीजन गैस की आपूर्ति तथा आक्सीजन गैस की मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, राज्यांतर्गत स्थित आक्सीजन गैस निर्माण करने वाली यूनिट/इंडस्ट्री/संस्थाओं को निम्नलिखित निर्देश (आदेश) देती है :-

1. समस्त आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आक्सीजन गैस का उत्पादन निरंतर बिना रूकावट के अपनी फैक्ट्री में संचालित किया जाए तथा आक्सीजन गैस का उत्पादन अपनी पूर्ण क्षमता से किया जाए.

2. उत्पादन का 80 प्रतिशत हिस्सा, मेडिकल आक्सीजन गैस के रूप में अस्पतालों को प्रदान किया जाना होगा तथा प्राथमिकता, छत्तीसगढ़ राज्य के अस्पतालों को प्रदान किया जाना होगा.

3. उत्पादन यूनिट द्वारा, उत्पादन का शेष 20 प्रतिशत ही अन्य इंडस्ट्रीज के उपयोग हेतु, प्रदान किया जायेगा.

4. आक्सीजन की आपूर्ति में, हर परिस्थिति में अस्पतालों को प्राथमिकता दी जायेगी, इंडस्ट्रीज को नहीं तथा अत्यंत आवश्यक स्थिति में, इंडस्ट्रीज हेतु प्रदान किये जा रहे 20 प्रतिशत आक्सीजन को भी कोविड-19 के उपचार हेतु अस्पतालों हेतु प्रदान किया जायेगा.

- उपरोक्त अधिसूचना को लागू किये जाने हेतु-

(1) आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ सक्षम अधिकारी होंगे.

(2) संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे.

(3) जिला स्तर पर जिला दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा 31 अक्टूबर, 2021 तक प्रभावशील रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. आर. प्रसन्ना,** विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 अप्रैल 2021

क्रमांक एफ 1-26/2020/17-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. आर. प्रसन्ना,** विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 11th April 2021

NOTIFICATION

No. F 1-26/2020/XVII-1.— The Government of Chhattisgarh is satisfied that the Stae is threatened with the spread of Covid-19 Epidemic day to day, which has already been declared as Pandemic by World Health Organization;

Whereas, medical oxygen supply is very crucial in the management of patients infected with Covid-19. With increasing number of cases of Covid-19 in the state, the consumption of oxygen is going up exponentially;

Whereas, lack of medical oxygen may affect the managemnet of critically ill patients of the Covid-19 and also may adversely affect the final outcome of the Covid-19 patients;

Hence, considering the above circumstances, Government of Chhattisgarh has now decided to regularize and determined the circulation and supply of medical oxygen from production unit/industry/institutions located within state of Chhattisgarh;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (No. 3 of 1897), Section 84 read with Section 141 of the Chhattisgarh Public Health Act, 1949 (No. 36 of 1949) and for the purposes of the proper implementation of the Chhattisgarh Epidemic Disease Covid-19 Regulation, 2020 and in order to address the management of Covid-19 patients in terms of oxygen supply and increasing demand of medical oxygen, the Government of Chhattisgarh hereby, directs (orders) "Oxygen Production unit/industry/institutions" located in the State, that-

1. All unit/industry/institutions should ensure that production of oxygen is uninterrupted and the production should be as per their maximum production capacity.

2. 80% of the production to be used only for medical oxygen and it has to be supplied to the hospitals and priority should be given to hospitals in Chhattisgarh state.

3. Production units can divert only up to 20% of the oxygen generaated for industrial use.

4. Priority shall be given to the hospitals over industries, in case, need arises for medical oxygen gas. In this situation, the allocated 20% of the oxygen gas for the insustries may also be used for the treatment of Covid-19 patients.

- for implementation of above notification-

    (1) The competent authority shall be Commissioner Health Services and Controller, Food and Drugs Administration, Govt. of Chhattisgarh.

    (2) At divisional level the Divisional Commissioner shall be the competent authority.

    (3) At district level the District Magistrate shall be the competent authority.

    This notification shall come in to effect immediately and could remain in operation till 31st October, 2021

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. R. PRASANNA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.